बनाम .... ऑनलाईन नं. ....

बउनवान .... मुकदमा नं. ....

धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील
4.1.23	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप। जवाब दावा पत्रावली पर आ चुका है, पूर्व में प्रतिवादी [illegible] द्वारा भी [illegible] जवाब पेश किया जा चुका है, जवाबदावा भी वादी के वादपत्र के तथ्यों का समर्थन करता है। मैंने पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, साक्ष्य एवं पक्षकारों के अभिवचनों के मद्देनजर दावा वादी स्वीकार करना उचित मानता हूं। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

सि0 नं0 112/2022 दावा/बउनवान/मथरी उर्फ गणेशीबाई/मांगीलाल वगैरा

मथरी उर्फ गणेशीबाई आयु 84 साल पुत्री श्री कंवरया पत्नी श्री मथुरालाल जाति चमार निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम जरगा तहसील खानपुर जिला झालावाड।

–वादीनी–

–बनाम–

1. मांगीलाल पुत्र श्री रघुनाथ जाति चमार निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद,
2. रमेश पुत्र श्री रघुनाथ जाति चमार निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद,
3. पांचीबाई पत्नी श्री रघुनाथ जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
4. रामभरोस पुत्र श्री गोपाल जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
5. कन्याबाई पुत्री श्री गोपाल जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
6. किशोरबाई पुत्री श्री गोपाल जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
7. भूलीबाई पुत्री श्री गोपाल जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
8. भैरूलाल पुत्र श्री मोत्या जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
9. लटूर पुत्र श्री मोत्या जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
10. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 4.1.2023

वादीनी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीनी के शामलाती खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 256 रकबा 3.34 हैक्टर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.73 हैक्टर आराजी वाके ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है। वादीनी का वास्तविक नाम "गणेशीबाई" है किन्तु वादीनी का घर का नाम "मथरी" भी है। इस प्रकार वादी को गणेशीबाई व मथरी दोनों ही नामों से जाना जाता है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् वादी के हैं। वादी के आधारकार्ड, राशनकार्ड इत्यादि राजकीय दस्तावेजों में वादी का नाम "गणेशीबाई" ही अंकित है। राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी के नाम एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अंकित वादी के

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नाम में भिन्नता होने के कारण प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पडा रहा है। उक्त संबंध में वादीनी ने गत सप्ताह पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड मे नाम दुरूस्त करवाने की कहा तो पटवारी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की राय व्यक्त की जिसके कारण माननीय न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने का आग्रह करने पर पटवारी द्वारा न्यायालय में वाद दायर करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सॉगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। अतः वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी के नाम ''मथरी'' के स्थान पर ''गणेशीबाई'' अंकित किया जावे। विकल्प में यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम ''मथरी उर्फ गणेशीबाई'' अंकित किया जावे।

वादीनी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 9 द्वारा जवाबदावा इकबालिया पेश कर दावा वादिनी स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया। राज्य सरकार की ओर से पैरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादीनी के वादपत्र के तथ्यों का समर्थन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात, उभय पक्षकारों के अभिवचनों के अनुसार दावा वादीनी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादीनी स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि माल ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 256 रकबा 3.34 हैक्टर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.73 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी के नाम ''मथरी'' के स्थान पर ''गणेशीबाई'' अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 5.1.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बइजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 112/2022 दावा/बउनवान/मथरी उर्फ गणेशीबाई/मांगीलाल वगैरा

मथरी उर्फ गणेशीबाई पुत्री श्री कंवरया पत्नी श्री मथुरालाल जाति चमार निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद हाल निवासी ग्राम जरगा तहसील खानपुर जिला झालावाड। –वादीनी–

–बनाम–

1. मांगीलाल पुत्र श्री रघुनाथ जाति चमार निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद,
2. रमेश पुत्र श्री रघुनाथ जाति चमार निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद,
3. पांचीबाई पत्नी श्री रघुनाथ जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
4. रामभरोस पुत्र श्री गोपाल जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
5. कन्याबाई पुत्री श्री गोपाल जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
6. किशोरबाई पुत्री श्री गोपाल जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
7. भूलीबाई पुत्री श्री गोपाल जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
8. भैरूलाल पुत्र श्री मोत्या जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
9. लटूर पुत्र श्री मोत्या जाति चमार निवासी गुरायता तहसील सांगोद,
10. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा। –प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट, मि.नं. 112/2022

तारीख फैसला दिनांक ..... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... **दावा वादीनी स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि माल ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 256 रकबा 3.34 हैक्टर, खसरा नंबर 329 रकबा 0.73 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी के नाम "मथरी" के स्थान पर "गणेशीबाई" अंकित किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।** निज ——— मुबलिग ——— बाबत ——— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ——— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ——— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख ..... को जारी की गई।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)